

## क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश

**कार्यक्रम का नाम— POL for Family Planning /Others (Including additional mobility support to sugeon's team)**

**बजट क्रम संख्या / एफ०एम०आर० कोड संख्या— A.3.3**

**कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण —**

परिवार नियोजन आपरेशन कार्यक्रम जिलों में कैम्प Mode में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक आयोजित किए जाते हैं । प्रत्येक जिले में सभी PHC पर प्रशिक्षित सर्जन तथा एनेस्थेटिस उपलब्ध नहीं है अतः जिला स्तर पर गठित टीम को बारी बारी से PHC तक भेज कर कैम्प मोड एवं परिवार कल्याण पखवाड़ा में परिवार नियोजन का ऑपरेशन किया जाता है । POL की राशि का उपयोग Mobility of Surgeons, Monitoring of Family Planning programme में किया जा सकता है । परिवार कल्याण कार्यक्रम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर द्वारा अनुश्रवण भी आवश्यक है । इस हेतु ACMO/FP nodal के जिला भ्रमण एवं Monitoring हेतु अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जा रही है ।

**इकाई राशि कुल राशि (रु० में)– निम्नवत् है ।**

क्र.सं	गतिविधि	इकाई राशि (कुल रु० में)	अभ्युक्ति
1	Transportaion of FP material from State Drug store to District drug store	Rs.20,000/-per dist. for the Year	Maximum Rs.20,000/- per dist for the year
2	Monitoring of FP Services/FP-training at PHC/SDH by dist.CS/ACMO/FP Nodal Officer. This fund will also be utilized for Mobility of surgeons from dist.to PHC/SDH and One PHC to another PHC for providing FP Operation services	Rs.15,000/-per dist per month	Maximum Rs.1,80,000/- per dist for the year
3	Monitoring of FP Services at Divisional level by Div.FP Consultant/RPMU Staff /RDD. This fund can also be utilized for Mobility of Surgeons and for FP training purposes.	Rs.20,000/- per month per RPMU	Maximum 2,40,000/- per RPMU for the Year

**वित्तीय दिशा निर्देश—**

इस राशि का व्यय निम्नलिखित गतिविधियों पर किया जाना है —

- 1 सिविल सर्जन/ACMO/परिवार कल्याण नोडल पदाधिकारी द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम अन्तर्गत मूल्यांकन के उद्देश्य से क्षेत्र भ्रमण के लिए ।
- 2 राज्य दवा भण्डार, गुलजारबाग,पटना/राज्य स्वास्थ्य समिति से जिला तक, तथा जिला स्तर से प्रा०स्वा०के०/उपकेन्द्र तक गर्भनिरोधकों का परिवहन ।
- 3 जिला स्तर पर राशि का व्यय कम हो तो जिला स्वास्थ्य समिति अपने स्तर से निर्णय लेकर राशि प्रखंड को हस्तान्तरित कर सकते हैं, जहाँ परिवार कल्याण ऑपरेशन में इसका अधिकतम उपयोग हो सके ।
- 4 सिविल सर्जन/ACMO/परिवार कल्याण नोडल पदाधिकारी/ द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम के मूल्यांकन के उद्देश्य से क्षेत्र भ्रमण हेतु ।


13/7/13

804

8

- 5 जिला स्तर पर उपलब्ध कराये गये राशि जिला स्तर पर निर्धारित वाहन के POL या Hiring of vehicle के लिये नियमानुसार व्यय करेंगे। राशि खर्च नहीं होने की स्थिति में आवश्यकतानुसार प्रा. स्वा.केन्द्रों को भी आवंटित की जा सकती है ताकि राशि का व्यय हो सके।
- 6 RPMU स्तर पर उपलब्ध कराये गये राशि से जिला में परिवार कल्याण कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम से संबंधित प्रशिक्षणों में नियमानुसार व्यय किया जाना है। इसका उपयोग RDD, RPMU Staff, एवं Divisional FP Consultant द्वारा किया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार NSV Camp अथवा परिवार नियोजन के Training में सर्जन के Transportation हेतु व्यय किया जा सकता है।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/उप-निदेशक का नाम – डॉ० ए. के., शाही, /सुबोध जायसवाल  
संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/उप-निदेशक का फोन नं० : 9470003017 / 9431005971

  
13/7/13

401  